बैंक ऑफ महाराष्ट्र
Bank of Maharashtra
भारत सरकार का उद्यम
एक परिवार एक बैंक

सुशांत लोक शाखा, गुरुग्राम, जीएफ–01–02, बी ब्लॉक, टाइम स्क्वायर बिल्डिंग, सुशांत लोक– I , गुरुग्राम, हरियाणा, टेली: 0124–4047136
ईमेल: brmg1295@mahabank.co.in,
प्रधान कार्यालय: लोकमंगल, 1501, शिवाजी नगर, पुणे–411005

अप्राप्य मांग–नोटिस

शाखा का नाम	उधारकर्ता का नाम	प्रतिभूति का विवरण	मांग नोटिस की तिथि 16.04.2022 पंजीकृत /स्पीड पोस्ट के माध्यम से मांग नोटिस भेजने की तिथि 16.04.2022 मांग नोटिस के अनुसार देय कुल राशि
सुशांत लोक, गुरुग्राम	1. श्री अजय चौबे ,पताः हाउस नंबर 6, खसरा नंबर 371/2/2 (1–4–8),372 (2–8–0), गली नंबर 2, बसई रेलवे स्टेशन के पास, गुड़गांव, हरियाणा। श्रीमती विभा देवी पताः हाउस नंबर 6, खसरा नंबर 371/2/2 (1–4–8), 372 (2–8–0), गली नंबर 2, बसई रेलवे स्टेशन के पास, गुड़गांव, हरियाणा।	श्री अजय चौबे के नाम पर मकान नंबर 6, खसरा नंबर 371/2/2 (1–4–8), 372 (2–8–0), गली नंबर 2, बसई रेलवे स्टेशन के पास, गुड़गांव, (क्षेत्र 110 वर्ग गज) हरियाणा का साम्यिक गिरवी रखना।	रु. 38,21,135.00+ लागू न होने पर और लागू होने ब्याज + अन्य शुल्क (15.04.2022 को 3,98,245.00 रुपये)

हमने पहले ही स्पीड पोस्ट/पजीकृत डाक द्वारा वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत विस्तृत मांग नोटिस जारी कर दिया है जो बिना सुपुर्दगी/अस्वीकार कर दी गई है और इसके अतिरिक्त आपको सरफेसी अधिनियम–2002 के तहत आगे की कार्रवाई से बचने के लिए उपरोक्त उल्लिखित नोटिस की तारीख से 60 दिनों के भीतर ब्याज और लागत आदि के साथ ऊपर उल्लिखित कुल बकाया राशि का भुगतान करने की सलाह दी जाती है। कृपया ध्यान दें कि सरफेसी अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अनुसार हमारी आगे की कार्रवाई बैंक की कुल बकाया राशि के पुनर्भुगतान तक जारी रहेगी।

दिनांक: 11.05.2022 स्थान: गुरुग्राम, हरियाणा, अधिकृत अधिकारी: बैंक ऑफ महाराष्ट्र

ऋण वसूली ट्रिब्यूनल–II, दिल्ली के समक्ष
चौथी मंजिल, जीवन तारा बिल्डिंग, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली–110001

ओ.ए. नं. 373/2020
एक्सिस बैंक ...आवेदक बनाम सौमिल गुप्ता ...प्रतिवादी

सेवा में, 1. सौमिल गुप्ता, 7156, तीसरी मंजिल, सुभाष नगर, पश्चिम दिल्ली, टैगोर गार्डन, नई दिल्ली–110027 इसके अलावाः डी–180, सेक्टर –63, नोएडा, उत्तर प्रदेश–201301 प्रतिवादी 1 2. सोनम अग्रवाल, 7/56, तीसरी मंजिल, सुभाष नगर, पश्चिम दिल्ली, टैगोर गार्डन, नई दिल्ली–110027 प्रतिवादी 2 3. मासकॉन (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, अपने निदेशकों के माध्यम से, पंजीकृत कार्यालय–ए–122, सिंहराज कॉम्प्लेक्स, पहली मंजिल, चंद्र विहार, आई.पी. एक्सटेंशन, दिल्ली–110092 इसके अलावाः वाणिज्यिक प्लॉट नंबर –1, सेक्टर – 5, वसुंधरा प्लाजा वसुंधरा, गाजियाबाद, यू.पी.**प्रतिवादी 3**

जबकि उपरोक्त नामित आवेदक(को) ने आपके विरुद्ध रुपये **रु. 38,73,874/– (रुपये अड़तीस लाख तिहत्तर हजार आठ सौ चौहत्तर मात्र)** की वसूली के लिए मामला दर्ज किया है और जहां अधिकरण की संतुष्टि के लिए यह दिखाया गया है कि सामान्य तरीके से आपकी संपर्क करना संभव नहीं है, इसलिए अतः यह नोटिस आपको दिनांक 17.05.2022 को पूर्वाह्न 10.30 बजे माननीय अधिकरण के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश देते हुए विज्ञापन द्वारा जारी किया गया है(अधिक जानकारी के लिए कृपया डीआरटी की वेबसाइट www.etribunal.gov.in, फोन नंबरः 011–23748473 देखें)।

ध्यान दें कि उल्लिखित दिन से पहले आपकी उपस्थिति में चूक होने पर, मामले की सुनवाई की जाएगी और आपकी अनुपस्थिति में मामला निर्धारित किया जाएगा।

चल रही महामारी की स्थिति के कारण सभी मामलों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की जाएगी और इस उद्देश्य के लिए:– (i) सभी अधिवक्ता/वादीगण "सिस्को वीबेक्स" एप्लिकेशन/सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे: (ii) रजिस्ट्रार/वसूली अधिकारी–I/और रिकवरी अधिकारी–II द्वारा लिए जाने वाले मामलों की सुनवाई की अगली तारीख के लिए "मीटिंग आईडी" और "पासवर्ड"डीआरटी आधिकारिक पोर्टल यानी "drt.gov.in" पर सार्वजनिक सूचना शीर्ष के अंतर्गत अगली तारीख से एक दिन पहले उपलब्ध होंगे।

(iii) किसी भी आपात स्थिति में अधिवक्ता/वादी संबंधित अधिकारी से फोन नंबर 011–23748478 पर संपर्क कर सकते हैं। 16 अप्रैल 2022 के दिन मेरे हाथ और ट्रिब्यूनल की मुहर के तहत आदेश। प्रतिवादी विस्तृत पूछताछ के लिए नीचे उल्लेखित फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, श्री अमित के. डार, ले. रजिस्ट्रार, डीआरटी–I ,नई दिल्ली, दूरभाषः 011–23748473, ईमेलः drt1delhi-dfs@nic.in

इस ट्रिब्यूनल के आदेशानुसार, कृते रजिस्ट्रार

केनरा बैंक Canara Bank
शाखाः 48, नोलम बाटा रोड, एनआईटी फरीदाबाद, हरियाणा–121001

कब्जा–सूचना [धारा 13(4)] (अचल संपत्ति के लिए)

जबकि, अधोहस्ताक्षरी केनरा बैंक में वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का अधिनियम 54) और इसके बाद "अधिनियम" के रूप में संदर्भित) के तहत अधिकृत अधिकारी होने के नाते और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित,धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 31.12.2021 को एक मांग नोटिस जारी कर ऋणकर्ता श्री विक्रम तिवारी पुत्र वीरेंद्र कुमार तिवारी, एच.नंबर 3450,सेक्टर 3,जीएफ गली नंबर 22, फरीदाबाद, हरियाणा को उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर नोटिस में उल्लिखित राशि रु. 10,64,342.12 (रुपये दस लाख चौंसठ हजार तीन सौ बयालीस और बारह पैसे मात्र) का भुगतान करने के लिए कहा था।

ऋणकर्ता द्वारा राशि का भुगतान करने में विफल रहने पर, ऋणकर्ता और आम जनता को एतद्द्वारा नोटिस दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम के नियम 8 और 9 के साथ पठित, उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए 09 मई 2022 को नीचे वर्णित संपत्ति पर कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणकर्ता और आम जनता को एतद्द्वारा चेतावनी दी जाती है कि वे उक्त संपत्ति का लेन–देन न करें और संपत्ति के साथ किसी भी तरह का लेन–देन करने पर केनरा बैंक को रु. 10,64,342.12 (रुपये दस लाख चौंसठ हजार तीन सौ बयालीस और बारह पैसे मात्र) और उस पर ब्याज का भुगतान करना होगा।

प्रतिभूति परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 (8) के प्रावधानों के तहत ऋणकर्ता का ध्यान आकर्षित किया है ।

अचल संपत्ति का विवरण

मकान नंबर 3347–ए प्रथम तल, सेक्टर 3 ,हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, फेज II, फरीदाबाद, हरियाणा स्थित संपत्ति का वह हिस्सा और अंश। चौहद्दी : उत्तर में : सड़क, दक्षिण में : घर संख्या 3346–ए/ एलआईजी/ एफएफ, पूर्व में: सड़क, पश्चिम में : घर संख्या 3348–ए/एलआईजी / एफएफ।

दिनांक : 13.05.2022, स्थान : फरीदाबाद अधिकृत अधिकारी, केनरा बैंक

HDB FINANCIAL SERVICES

एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड
कब्जा सूचना

पंजीकृत कार्यालयः "राधिका", दूसरी मंजिल, लॉ गार्डन रोड, नवरंगपुरा, अहमदाबाद, गुजरात, पिन कोडः 380009
शाखा कार्यालयः भवन नं 59. पहली और दूसरी मंजिल, पंचकुइयां रोड, आर के आश्रम मेट्रो के पास, नई दिल्ली–110001

आप नीचे उल्लिखित उधारकर्ताओं, सह–उधारकर्ताओं और गारंटरों ने आपकी अचल संपत्तियों (प्रतिभूति) में अपनी अचल संपत्तियों को गिरवी रखकर एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड से ऋण (ऋणों)ध वित्तीय सुविधा (आईईएस) प्राप्त की है और उस राशि की चुकौती में चूक की है। आपके डिफॉल्ट के परिणामस्वरूप आपका ऋण गैर–निष्पादित संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया था। इसके बाद, कंपनी ने वित्तीय संपत्ति के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 (अधिनियम) की धारा 13(2) के तहत डिमांड नोटिस जारी किया है, जिसमें सुरक्षा ब्याज (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3(1) के साथ पठित धारा 13(2) और और आप को वैकल्पिक सेवा के माध्यम से प्रकाशित किया जा रहा है। उधारकर्ताओं, सह–उधारकर्ताओं, ऋण खाता संख्या, ऋण राशि, धारा 13(2) दिनांक के तहत मांग नोटिस का विवरण, नोटिस में दावा की गई राशि, एनपीए तिथि और प्रतिभूतियों का विवरण नीचे दिए गए हैं:

1. **उधारकर्ता और सह–उधारकर्ताओं का नामः** गांधी क्लॉथ एम्पोरियम–टी3586,राजा पार्क, शकूर बस्ती, हनुमान मंदिर के पास, दिल्लीए 110034 दिल्ली– आशोक कुमार, गांधी हाउस नं डब्ल्यूजेड 236, प्लॉट नं 15 केएच नं 41/16, अपर जी/एफ,गली नं 4, ब्लाक डब्ल्यूजेड, सिरी नगर, दिल्ली शकूर बस्ती , छाया के पास, दिल्ली, उषा रानी गांधी–डब्ल्यूजेड–236–ए ,गली नं–4 श्रीनगर रानी बाग, चयन डेयरी के पास, दिल्ली 110034 दिल्ली – कमल गांधी, संपत्ति नंबर–टी–3586, स्क्वायर नंबर–41, किल्ला नंबर 7/2, एफ–क्लॉक, गांव शकूर पुर राजा पार्क, शकूर बस्ती, हनुमान मंदिर दिल्ली के पास, दिल्ली –110034 –कमल गांधी –डब्ल्यूजेड–236–ए गली नंबर –4, श्री नगर रानी बाग, चयन डेयरी के पास, दिल्ली–110034 दिल्ली। ऋण खाता संख्याः 16100184/12208968/4311574,ऋण राशिः ऋण खाता संख्या –16100184 द्वारा रु.793000/– (रुपये सात लाख तिरानवे हजार मात्र), और ऋण खाता संख्या 12208968 द्वारा रु. 263000/– (रुपये दो लाख तिरसठ हजार मात्र) और ऋण खाता संख्या 4311574 द्वारा 4150000/– (रुपये इकतालिस लाख पचास हजार मात्र), मांग सूचनाः 20.04.2022 , दावा की गई राशिः 19.04.2022 के अनुसार रु. 51,72,332.17 (रुपये इक्यावन लाख बहत्तर हजार तीन सौ बत्तीस और सत्रह पैसे मात्र) और वास्तविक वसूली तक भावी संविदात्मक ब्याज, आकस्मिक व्यय, लागत और प्रभार आदि के साथ। एनपीए दिनांकः 04.03.2022, प्रतिभूति का विवरणः संपत्ति धारक संख्या–टी 3586, प्लॉट नं 47, स्क्वायर नंबर 41, किल्ला नं. 7/2 ब्लॉक एफ, गांव शकूरपुर राजा पार्क, शकूरपुर, दिल्ली–110034, मापक्षेत्र–75 वर्ग गज के सभी टुकड़े और अंश, बिक्री विलेख संख्या 15349 दिनांक 04.10.2006 के तहत श्री अशोक कुमार गांधी स्वर्गीय श्री विहान दास के स्वामित्व में, उप रजिस्ट्रार उप जिला संख्या VI (ए) (मॉडल टाउन) पीतमपुरा, दिल्ली के साथ पंजीकृत। संपत्ति की चौहद्दीः पूर्व – 15 फीट गली, पश्चिमः अन्य संपत्ति, उत्तर–अन्य संपत्ति, दक्षिण–20 फीट रोड।

इसलिए आप उधारकर्ता, सह–उधारकर्ताओं और गारंटरों को इस नोटिस के 60 दिनों के भीतर ऊपर उल्लिखित अतिरिक्त ब्याज के साथ उपरोक्त मांग की गई राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है। ऐसा न करने पर अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त प्रतिभूतियों को लागू करने के लिए अधिनियम के तहत कार्रवाई करने के लिए विवश होना होगा। (उपलब्ध समय के संबंध में, प्रतिभूति संपत्तियों को भुनाने के लिए, अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों के लिए उधारकर्ता का ध्यान आमंत्रित किया जाता है।) कृपया ध्यान दें कि उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के अनुसार, आपको बिक्री, पट्टे या अन्यथा हमारी सहमति के बिना उपरोक्त संदर्भित प्रतिभूतियों को स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है और अधिनियम की धारा 13(13) के किसी भी गैर–अनुपालन पर उक्त अधिनियम की धारा 29 के तहत दंडनीय है।

किसी भी प्रश्न के लिए कृपया श्रीमान अरुण यादव फोनः 9350538386 या विकास आनंद फोनः 09711010384 से संपर्क करें।

स्थान : दिल्ली हस्ता/– कृते एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड,
दिनांकः 10.05.2022 अधिकृत अधिकारी

ADITYA BIRLA CAPITAL

PROTECTING INVESTING FINANCING ADVISING

आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः इंडियन रेयॉन कंपाउंड, वेरावल, गुजरात 362266
शाखा कार्यालयः डी–17, सेक्टर–3, नोएडा, उत्तर प्रदेश–201301

परिशिष्ट IV (प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 का नियम 8 (1) देखें)
आधिपत्य सूचना (अचल संपत्ति हेतु)

जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (2002 का अधिनियम 54) के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, एक मांग सूचना दिनांकित 22.02.2022 निर्गत की थी, जिसमें ऋणकर्ताओं नामतः **राम सिंह चौहान एवं सविता, चौहान सिक्योरिटी फोर्स सर्विसेज को सूचना में अंकित राशि रु. 12,73,426.00 (रुपए बारह लाख तिहत्तर हजार चार सौ छब्बीस मात्र)** का, उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों के अंदर, प्रतिभुगतान करने को कहा गया था।

चूंकि ऋणकर्तागण निर्धारित बकाया राशि का प्रतिभुगतान करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतद्द्वारा ऋणकर्ताओं को तथा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यहां इसमें निम्न विवरणित संपत्ति का प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, 09 मई 2022 को, आधिपत्य ग्रहण कर लिया है।

ऋणकर्ताओं को विशेष रूप में तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा सामान्य रूप में सावधान किया जाता है कि संपत्ति का लेन–देन न करें तथा संपत्ति का कोई व किसी भी प्रकार का लेन–देन जो होगा, वह रु. 12,73,426.00 (रुपए बारह लाख तिहत्तर हजार चार सौ छब्बीस मात्र) की एक राशि और इस राशि पर ब्याज हेतु आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्रभाराधीन होगा।

ऋणकर्ताओं का ध्यानाकर्षण प्रतिभूत परिसंपत्तियों के मोचनार्थ उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर आमंत्रित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

"संपत्ति के समस्त वह भाग तथा अंश जो निर्मित ऊपरी भूतल सं. 01 (आगे का भाग बायीं ओर) छताधिकारों के बिना, के स्वरूप में हैं, जो भूतल पर साधारण एक दोपहिया पार्किंग के साथ, जिसका निर्माण संपत्ति सं. 31 पर हुआ है, जिसका क्षेत्र मापन 40 वर्ग गज (180 वर्ग गज में से) है, जो खसरा सं. 13/5 में से है और ग्राम मटियाला की राजस्व संपदा, दिल्ली राज्य दिल्ली, सेवक पार्क के रूप में अभिज्ञात कॉलोनी, ब्लॉक–ई, उत्तम नगर, नई दिल्ली–110059 में स्थित हैं, जो साधारण सीढ़ियों, प्रवेश और गलियारे के साथ है जो उक्त संपत्ति में समस्त साधारण समानुपातिक अधिकारों के साथ है, जो समस्त अधिकारों, हकों, हितों ईजमेंट्स, विशेषाधिकारों के साथ और समस्त फिटिंग्स, फिक्सचर्स के साथ संलग्न संपत्ति, वहां के बिजली और पानी के कनेक्शनों के अधिकारों के साथ है और साधारण ड्राइववे, सबमर्सिबल, प्रवेश, गलियारा, सीढ़ी में समस्त अधिकारों के साथ है, उक्त भूमि में समानुपातिक अविभाजित, अविभाज्य स्वामित्वधारक अधिकारों के साथ है जिसमें ओवरहेड टैंक के रख–रखाव/उसे साफ करने के लिए और टीवी/डिश एंटीना इत्यादि की संस्थापना करने के लिए छत के शीर्ष पर सीढ़ी के माध्यम से पहुंचने/जाने के पूर्णाधिकार भी होंगे और जो इस प्रकार परिसीमित हैः पूर्व– अन्य का भूखंड, पश्चिम– संपत्ति/अन्य फ्लैट का भाग, दक्षिण– अन्य का भूखंड, उत्तर– सड़क 20 फुट।

दिनांकः 13.05.2022 प्राधिकृत अधिकारी
स्थानः गुड़गांव आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

प्रपत्र ए
सार्वजनिक घोषणा
[भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 6 के अधीन]

ओलिवर इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों के ध्यानार्थ
संबंधित विवरण

1.	कार्पोरेट देनदार का नाम	ओलिवर इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड
2.	कार्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि	15 जुलाई 2011
3.	प्राधिकरण जिसके अधीन कार्पोरेट देनदार निगमित / पंजीकृत है	रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज–दिल्ली
4.	कार्पोरेट देनदार की कार्पोरेट पहचान संख्या / सीमित दायित्व पहचान संख्या	U74999DL2011PTC222377
5.	कार्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई) का पता	**पंजीकृत कार्यालय (एमसीए रिकॉर्ड के अनुसार):** **सीआईआरपी आदेश की तिथि के अनुसार:** 3 एल.एस. सी पंपोश एन्क्लेव, ग्रेटर कैलाश, पार्ट–1, नई दिल्ली–110048 **सीआईआरपी आदेश की प्राप्ति की तिथि के अनुसार:** तीसरी मंजिल, 108 बी मदनगीर गांव नई दिल्ली–110062 **फैक्ट्री का पताः** गाँव– संधारसी, तहसील– राजपुरा, जिला– पटियाला, पंजाब–140417
6.	कार्पोरेट देनदार के संबंध में ऋण शोध अक्षमता आरंभन तिथि	**26 अप्रैल, 2022**–सीआईआरपी आदेश की तिथि **11 मई, 2022**– अंतरिम समाधान प्रोफेशनल द्वारा सीआईआरपी आदेश प्राप्त होने की तिथि
7.	ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया के समापन की पूर्वानुमानित तिथि	**23 अक्टूबर 2022** (दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू होने की तारीख से 180वां दिन)
8.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल के रूप में कार्यरत ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल का नाम और रजिस्ट्रेशन नम्बर	**आकाश सिंघल** **पंजी. सं.**: IBBI/IPA-001/IP-P00137/2017-18/10279
9.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल का पता और ई–मेल, जैसा कि बोर्ड में पंजीबद्ध है	**खंडेलवाल जैन एंड कंपनी,** चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, जी–8 और 9, हंस भवन, बीएसजेड मार्ग, आईटीओ, नई दिल्ली – 110002 ईमेल: akash@kjco.net
10.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल का, पत्राचार हेतु प्रयुक्त, पता और ई–मेल	**खंडेलवाल जैन एंड कंपनी,** चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, जी–8 और 9, हंस भवन, बीएसजेड मार्ग, आईटीओ, नई दिल्ली – 110002 ईमेलः oliverengg.cirp@gmail.com
11.	दावा प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि	25 मई, 2022
12.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल द्वारा धारा 21 की 4 उप–धारा (6क) के क्लॉज (ख) के तहत अभिनिश्चित लेनदारों की श्रेणियां, यदि कोई	श्रेणी (यों) का नाम : कुछ नहीं
13.	किसी श्रेणी में लेनदारों के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने हेतु चिह्नित ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल के नाम (प्रत्येक श्रेणी के लिए तीन नाम)	लागू नहीं
14.	(क) संबंधित प्रपत्र उपलब्ध है (ख) अधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण पर उपलब्ध है:	(क) वेबलिंक: https://www.ibbi.gov.in/home/downloads (ख) लागू नहीं

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि राष्ट्रीय कम्पनी विधि न्यायाधिकरण ने दिनांक **26 अप्रैल 2022** को **ओलिवर इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड** के विरुद्ध कार्पोरेट ऋण शोध अक्षमता प्रक्रिया आरंभ करने का आदेश दिया है।

ओलिवर इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों से एतद्द्वारा अपने दावों का प्रमाण **25 मई 2022** को अथवा पूर्व अंतरिम समाधान प्रोफेशनल के समक्ष ऊपर आइटम 10 के समक्ष वर्णित पते पर प्रस्तुत करने की मांग की जाती है।

वित्तीय लेनदारों को अपने दावों का प्रमाण केवल इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा प्रस्तुत करना होगा। अन्य सभी लेनदार अपने दावों का प्रमाण व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक साधनों प्रस्तुत कर सकते हैं।

किसी श्रेणी के साथ सम्बन्धित वित्तीय लेनदार (लागू नहीं) जैसा कि प्रविष्टि सं 12 के समक्ष सूचीबद्ध है, अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए प्रविष्टि सं. 13 के समक्ष सूचीबद्ध तीन ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल्स में से अपनी पसंद का अधिकृत प्रतिनिधि को प्रपत्र सीए में [कुछ नहीं] निदर्शित करेगा (लागू नहीं)

दावे के फर्जी अथवा भ्रामक प्रमाण की प्रस्तुति दंडनीय होगी।

आकाश सिंघल
दिनांक : 12.05.2022 अंतरिम समाधान प्रोफेशनल, ओलिवर इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड
स्थान : नई दिल्ली **पंजीकरण सं.**:IBBI/IPA-001/IP-P00137/2017-18/10279

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India
1911 से आपके लिए "केंद्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

शाखा कार्यालयः सदर बाजार, दिल्ली–110006
कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए)
परिशिष्ट–IV [नियम–8(1)] देखें

जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने **सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सदर बाजार शाखा, दिल्ली** के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 की नियमावली के साथ पठित धारा 13 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगान्तर्गत, धारा 13(2) के अंतर्गत एक मांग सूचना दिनांकित **19.05.2021** निर्गत की थी, जिसमें **ऋणकर्ता/गारंटरः (1) मैसर्स सतीश इंटरप्राइजेज स्वामी श्री सतीश कुमार यादव (2) श्रीमती कमलेश देवी पत्नी स्वर्गीय करतार सिंह (3) श्रीमती पुष्पा ठाकुर पत्नी श्री सतीश कुमार यादव, पताः** डब्ल्यूजेड–297, ग्राम–शकूरपुर, दिल्ली–110034 को सूचना में अंकित दिनांक 19.05.2021 के अनुसार **रु. 32,23,721/– (रुपए बत्तीस लाख तेईस हजार सात सौ इक्कीस मात्र)** की एक राशि का, भुगतान तथा/अथवा वसूलीकरण की तिथि तक आकलित भावी ब्याज, आकस्मिक व्ययों, लागतों, शुल्कों इत्यादि के साथ, उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों के अंदर, प्रतिभुगतान करने को कहा गया था। ऋणकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता निर्धारित देयराशि का भुगतान करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतद्द्वारा ऋणकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता को विशेष रूप में तथा एतद्द्वारा जनसाधारण को सामान्य रूप में सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यहां इसमें निम्न विवरणित सम्पत्ति का, उक्त नियमावली के नियम 8 (1) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उनको प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगान्तर्गत, **09 मई 2022 को,** आधिपत्य ग्रहण कर लिया है। ऋणकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता को विशेष रूप में तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा सामान्य रूप में सावधान किया जाता है कि सम्पत्ति का लेन–देन न करें तथा सम्पत्ति का कोई व किसी भी प्रकार का लेन–देन जो होगा, वह दिनांक 09.05.2022 के अनुसार **रु. 26,16,583/– (रुपए छब्बीस लाख सोलह हजार पांच सौ तिरासी मात्र)** की एक राशि और ब्याज तथा बैंक द्वारा उपगत आकस्मिक व्ययों हेतु सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सदर बाजार शाखा, दिल्ली के प्रभाराधीन होगा।

आपका ध्यानाकर्षण प्रतिभूत परिसंपत्तियों के मोचनार्थ उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा (13) की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर आमंत्रित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

श्रीमती कमलेश देवी पत्नी स्वर्गीय करतार सिंह के नाम पर प्रविष्ट भूमि के समस्त वह भाग तथा अंश जो डब्ल्यूजेड–297, ग्राम–शकूरपुर, दिल्ली–110034 में स्थित हैं, जिनका अधिमापन 72 वर्ग गज है, और जिनका परिसीमन इस प्रकार हैः
उत्तर– श्री जीवन रोहिल्ला की संपत्ति
दक्षिण– सड़क 20 फुट
पूर्व– श्री राज कुमार की संपत्ति
पश्चिम– श्री संजीव कुमार की संपत्ति

दिनांकः 09.05.2022 प्राधिकृत अधिकारी
स्थानः दिल्ली सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया

तिथिः 09/05/2022 प्राधिकृत अधिकारी
स्थानः दिल्ली सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया

अवांस फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड
पंजीकृत एवं कॉर्पोरेट कार्यालय पता : फल्क्रम बिजिनेस सेंटर, 001 एवं 002, ए विंग, हयात रीजेंसी होटल के आगे, सहार रोड अंधेरी (पूर्व), मुम्बई–400 099, महाराष्ट्र
AVANSE FINANCIAL SERVICES

परिशिष्ट–IV [नियम 8(1)]
कब्जा सूचना
(अचल सम्पत्ति हेतु)

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (''कथित अधिनियम'') के तहत **अवांस फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड** का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते एवं प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में **कर्जदारों/सहकर्जदारों/जमानतियों/बंधककर्ताओं क्रमशः 1. हर्ष विजय गुप्ता, 2. मैसर्स सोनू क्रिएशन (इसके प्रोपराइटर के माध्यम से), 3. सुश्री सोनू गुप्ता, 4. विजय गुप्ता, 5. रचना जैन से सूचना में उल्लिखित राशि रु. 61,12,887/– (रुपये इकसठ लाख बारह हजार आठ सौ सत्तासी मात्र) अर्थात रु. 45,37,887/– (रुपये पैंतालीस लाख सैंतीस हजार आठ सौ सत्तासी मात्र) ऋण खाता सं. DEL/001839 में तथा रु. 15,75,000/– (रुपये पन्द्रह लाख पिचहत्तर हजार मात्र) ऋण खाता सं. DELMB00010660** और भावी ब्याज, दण्डात्मक ब्याज, प्रभारों, लागतों आदि का भुगतान कथित सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर करने के लिए कहते हुए ऋण खाता सं. DEL/001839 तथा DELMB00010660 (''ऋण खाता'') में 31 दिसम्बर, 2020 को एक माँग सूचना जारी की थी।

उपर्युक्त कर्जदार द्वारा राशि का पुनर्भुगतान करने में असफल रहने के कारण एतद्वारा कर्जदारों/सहकर्जदारों/जमानतियों/बंधककर्ताओं को तथा जनसामान्य को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूत हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में यहाँ अनुसूचित अचल सम्पत्ति (''अचल सम्पत्ति'') पर **7 मई,** 2022 को कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से कर्जदारों/सहकर्जदारों/जमानतियों/बंधककर्ताओं को तथा जनसामान्य को एतद्वारा सम्पत्ति के साथ कोई लेन–देन न करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्ति के साथ कोई लेन–देन कुल राशि **रु. 61,12,887/– (रुपये इकसठ लाख बारह हजार आठ सौ सत्तासी मात्र)** तथा उपर्युक्त ऋण खाते में अन्तिम भुगतान तथा/अथवा वसूली की तिथि तक उस पर ब्याज के लिए **अवांस फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड** के प्रभार का विषय होगा।

प्रतिभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय–सीमा के सम्बन्ध में कर्जदारों/सहकर्जदारों/जमानतियों/बंधककर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा (13) की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

सम्पूर्ण निर्मित द्वितीय तल, सीलिंग स्तर तक, माप क्षेत्रफल 110 वर्गगज (लगभग), द्वितीय तल के सामने का आधा अर्थात 45.09 वर्ग मीटर, अन्तिम मंजिल तक अपर निर्माण के अधिकार सहित, सम्पत्ति सं. एफ 166, 167, खसरा नं. 52/21 का भाग, आबादी एफ ब्लॉक, लक्ष्मी नगर, ग्राम खुरेजी खास, इलाका शाहदरा, दिल्ली 110092 में स्थित, सीमाएँ इस